



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]
No. 519]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2003/कार्तिक 5, 1925
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2003/KARTIKA 5, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2003

सा.का.नि. 843(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) संशोधन नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 में, नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक में, खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) ऐसे यान-

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं; या शासकीय रूप से निम्नलिखित के हैं -

(क) भारत के राष्ट्रपति

(ख) भारत के उप राष्ट्रपति

(ग) राज्य के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल

(घ) भारत के राजकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति

(ड) 'सी डी'/'सी सी' संख्या प्लेट वाली कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक

- (च) राज्य सभा के अध्यक्ष या लोक सभा के स्पीकर या राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष या राज्य विधान सभा के स्पीकर या संघ या राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री की हैसियत वाले लोक सभा या राज्य सभा या राज्य विधान मंडल में विपक्ष के नेता यदि वह यान में बैठे हों ; या
- (छ) संपूर्ण देश में संसद सदस्य या अपने अपने राज्य में राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद के सदस्य, यदि वह संसद या संबद्ध राज्य के विधान मंडल द्वारा, जैसा मामला हो, जारी किए गए पहचान पत्र को प्रस्तुत करें ;
- (ब) शौर्य पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र के विजेता को, यदि ऐसा पुरस्कृत व्यक्ति, ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पहचान पत्र प्रस्तुत करे ।

[फा. सं. एनएच-11065/15/2002-पी एण्ड एम्]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:- मूल अधिसूचना दिनांक 6.2.1997 को सा.का.नि.सं. 62(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और दिनांक 13.4.2000 को सा.का.नि.सं. 336(अ) द्वारा इसमें संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2003

G.S.R. 843(E).— In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highway/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, namely :-

1. (1) These rules may be called the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/ permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Amendment Rules, 2003.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, in rule 5, in sub-rule(1), in the proviso, for clause(i), the following clause shall be substituted, namely :-

- (i) vehicles -
 (A) having "VIP" symbols; or
 officially belonging to -
 (a) President of India ;

- (b) Vice-President of India;
 - (c) Governor of a State or Lt. Governor of a Union Territory;
 - (d) a Foreign Dignitary on State visit to India;
 - (e) a Foreign diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;
 - (f) Chairman of Rajya Sabha or Speaker of Lok Sabha or Chairman of a State Legislative Council or Speaker of a State Legislative Assembly or a Minister for the Union or State, or Leaders of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the status of Cabinet Minister, if he is sitting in the vehicle; or
 - (g) a Member of Parliament, in the entire country, or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State, if he produces his identity card issued by the Parliament or concerned Legislature of a State, as the case may be;
- (B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo identity card duly authenticated by the Competent Authority for such award.'

[F. No. NH-11065/15/2002-P&M]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.

Footnote : The principal notification was published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 62(E), dated 6.2.1997 and amended vide Notification G.S.R No.336(E) dated 13.4.2000.